

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) डीडवाना-कुचामन

कमांक रसद/एफ.पी.एस./विज्ञप्ति/2023/39

दिनांक:- 04-09-2023

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में उचित मूल्य की रिक्त/नवसृजित दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक :एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ. 17 (5) खावि/न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा निर्देशों के तहत सशुल्क(100/-रूपये का पोस्टल ऑर्डर) आवेदन पत्र आमंत्रित दिनांक 08.09.2023 से 03.10.2023 तक कार्यालय समय में प्राप्त किए जाकर दिनांक 04.10.2023 से 25.10.2023 सायं 05 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़ते हुए) निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी (कलक्टर परिसर) डीडवाना-कुचामन में जमा करवाये जा सकेंगे। आवेदन पत्र आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित समय अवधि में स्वयं को कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाना होगा। अन्य किसी भी माध्यम यथा डाक/अन्य व्यक्ति से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सम्पर्क सूत्र- श्री रामावतार पूनियाँ 9664072850/श्री शिवराम चौधरी 9462021047/श्री राकेश 9610546151/श्री विरेन्द्रसिंह जाखड 9610255550

रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वितरण केन्द्र	ग्राम पंचायत/न. प./न0पा10	रिक्त	तहसील/उपखण्ड	महिला (वेरोजगार) आरक्षण
मकराना					
1.	इलामलिया	खारड़िया	नवसृजित	मकराना	अनारक्षित
2.	काशीनगर	काशीनगर	नवसृजित	मकराना	महिला आरक्षित
3.	अलतवा 22894	अलतवा	रिक्त	मकराना	महिला आरक्षित
4.	सबलपुर	सबलपुर	नवसृजित	मकराना	महिला आरक्षित
5.	मकराना वार्ड संख्या 32,33 व34 पुराने	नगर परिषद मकराना	नवसृजित	मकराना	अनारक्षित
लाडनूँ					
1.	ध्यावा 12436	ध्यावा	रिक्त	लाडनूँ	अनारक्षित
2.	बल्दु 22225	बल्दु	रिक्त	लाडनूँ	महिला आरक्षित
3.	दत्ताउ	सावराद	नवसृजित	लाडनूँ	अनारक्षित
4.	गोरेड़ी	मंगलपुरा	नवसृजित	लाडनूँ	अनारक्षित
5.	5392 वार्ड नं. 17	लाडनूँ शहर	रिक्त	लाडनूँ	अनारक्षित
डीडवाना					
1.	चौलुखी 22280	चौलुखी	रिक्त	डीडवाना	अनारक्षित

A.W.

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों तथा एफ. 17 (5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आंवटन के दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 के दिशा निर्देश एवं रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [food.rajasthan.gov.in](http://food.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

(सीताराम जाट)

जिला (कलक्टर) रसद

डीडवाना-कुचामन

दिनांक :- 04-09-2023

क्रमांक/सम/2023/407052  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. मननीय सांसद महोदय, नागौर।
6. माननीय विधायक, डीडवाना/नावां/मकराना/लाडनूँ/परबतसर.....।
7. श्रीमान् ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट [food.rajasthan.gov.in](http://food.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।
8. जिला रसद अधिकारी डीडवाना-कुचामन।
9. संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नागौर को जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. उपखण्ड अधिकारी सम्बन्धित.....।
11. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त जिला डीडवाना-कुचामन।
12. प्रबंधक, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. ....।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला (कलक्टर) रसद

डीडवाना-कुचामन

Ans